जिला उद्योग मित्र बैठक

दिनाँक–21.08.2023– समय अपराह्न 03.30

अध्यक्षता – श्री उदय राज सिंह (आई0ए0एस0)
जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

स्थान – ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम हॉल, कलैक्ट्रेट सभागार, रूद्रपुर।

क्र. स.	बिन्दु	समस्या	अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देश	निराकरण
	जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पादित उद्योग मित्र बैठक दिनांक 02.06.2023 का कार्यवृत्त जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर के पत्रांक 282–सी दिनांक 12.06.2023 के द्वारा सभी सदस्य गणों को बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालनार्थ प्रेषित किया गया था, जिस पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।			
1	**सी0एस0आर0 के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट स्कूलों को गोद लिये जाने के संबंध में प्रगति।**	बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि जनपद में 1109 राजकीय विद्यालय हैं जिसमें 785 प्राथमिक विद्यालय, 200 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 66 माध्यमिक विद्यालय 58 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। उक्त विद्यालयों में से सी0एस0आर0 अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक इकाईयों द्वारा 512 स्कूलों को गोद लिया गया है, जिसमें से 30 स्कूलों का एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हो चुके हैं, 164 स्कूलों में कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, तथा 55 स्कूलों में कार्य आरम्भ होना है तथा शेष में कार्यवाही गतिमान है।	अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि सी0एस0आर0 इस बैठक का मुख्य बिन्दु है एवं सामाजिक हितों से जुड़ा है, जिस कारण इस पर बैठक में सर्वप्रथम चर्चा की जाती है। उनके द्वारा कहा गया कि सी0एस0आर0 फण्ड का उपयोग शिक्षा के साथ–साथ अन्य कई क्षेत्रों में सामाजिक उन्नयन के लिये भी किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि इकाईयों द्वारा गोद लिये गये स्कूलों की एक पी0पी0टी0 तैयार करें, जिसमें औद्योगिक इकाईयों द्वारा गोद लिये गये स्कूलों के सापेक्ष कितने स्कूलों में कार्य पूर्ण कर दिया गया है, कितने स्कूलों में कार्य गतिमान है व कार्य पूर्ण होने की अवधि, कितने स्कूलों में कार्य आरम्भ होना शेष है। जिन गोद लिये गये स्कूलों में आतिथि तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ है, उन स्कूलों के संबंध में कार्य आरम्भ व पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि का भी उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिये। उक्त पी0पी0टी0 के माध्यम से सी0एस0आर0 द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण सुगमता से किया जाना सम्भव होगा।	**मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर** द्वारा ई–मेल पर प्रेषित पी0पी0टी0 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विभिन्न औद्योगिक इकाईयों द्वारा 547 स्कूलों को गोद लिया गया है। **मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर अद्यतन स्थिति से अवगत करायें।**
2	**काशी विश्वनाथ स्टील्स प्रा0 लि0, काशीपुर (यूनिट–2) की स्थापना में आ रही समस्या के सम्बन्ध में।**	बैठक में उपस्थित मै0 काशी विश्वनाथ स्टील प्राइवेट लिमिटेड, काशीपुर (यूनिट–2) के प्रतिनिधि श्री राजीव गुप्ता द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2015 के अंतर्गत ग्राम गिरधई, बघेलेवाला एवं शिवलालपुर	अध्यक्ष महोदय द्वारा तहसीलदार काशीपुर को निर्देशित किया गया कि उक्त बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट करते हुए इस सम्बन्ध में सु–स्पष्ट आख्या उपलब्ध करायें साथ ही आगामी बैठक में अद्यतन सूचना सहित	**उपजिलधिकारी काशीपुर अद्यतन प्रगति से अवगत करायें।**

		अमरझण्डा, तहसील काशीपुर में काशी विश्वनाथ स्टील प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–2) के नाम से एक नए उद्योग की स्थापना की जा रही है। उक्त गांवों को जोड़ने वाली चक रोड प्रस्तावित इकाई की परिधि के अन्तर्गत आ रही है। इकाई द्वारा उक्त चक रोड इकाई के नाम करते हुए इसके स्थान पर अन्य कनेक्टिंग रोड उपलब्ध करने हेतु कहा गया है।	उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।	
3	**जिला पंचायत चौकी द्वारा वसूली जाने वाली धनराशि को बंद किए जाने के संबंध में।**	उक्त बिन्दु पर चर्चा के दौरान बैठक में उपस्थित अध्यक्ष एस0ई0डब्ल्यू0एस0, एस0एस0आई0डब्ल्यू0ए0, सचिव के0जी0सी0सी0आई0 एवं अन्य औद्योगिक प्रतिनिधियों द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि पूर्व में जिला पंचायत द्वारा किसी भी मार्ग पर अपनी चौकियों के माध्यम से माल भाड़ा सुविधा शुल्क की वसूली नहीं की जा रही थी परन्तु कुछ समय से जसपुर से ठाकुरद्वारा राज्य मार्ग पर जिला पंचायत द्वारा चौकी स्थापित की गई है, जिससे कर वसूली की जा रही है। उक्त चौकी को तत्काल प्रभाव से बंद कराये जाने का अनुरोध किया गया।	बैठक में उपस्थित अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, ऊधम सिंह नगर द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत का क्षेत्र विस्तारीकरण होने से जिला पंचायत का क्षेत्र बहुत कम हो गया है एवं सिडकुल पन्तनगर/सितारगंज में स्थापित उद्योगों से प्राप्त आय भी मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में बन्द हो गई है। उक्त व्यवस्था के कारण आय में वृद्धि हेतु लदान–ढुलान शुल्क वसूली का ठेका ई–निविदा के माध्यम से दिया गया है, जिससे जिला पंचायत को रू0 36.04 लाख की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है। उक्त के अतिरिक्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, ऊधम सिंह नगर द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 17.01.2023 को आयोजित उद्योग मित्र बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला पंचायत चौकियों के माध्यम से की जा रही कर वसूली बन्द किये जाने के संबंध में शासन को पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में पत्र तैयार कर पत्रावली हस्ताक्षर हेतु जिलाधिकारी महोदय, ऊधम सिंह नगर के सम्मुख प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे महोदय के हस्ताक्षर उपरान्त शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।	**अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, ऊधम सिंह नगर** अद्यतन प्रगति से अवगत करायें।
4	**इन्जीनियरिंग उद्योगों में संविदा श्रमशक्ति नियोजन करने की अनुमति के सम्बन्ध में।**	बैठक में उद्यमियों द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि कई राज्यों में इंजीनियरिंग उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया में श्रम संविदा कार्मिकों को	अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि वह पुनः अपना	**सहायक श्रमायुक्त, ऊधम सिंह नगर,** द्वारा अपने पत्र सं0 4132 दिनांक 19.08.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग मित्र बैठक में

		रखने की अनुमति प्रदान की गई है जबकि उत्तराखण्ड राज्य में उद्योगों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि उत्तराखण्ड में भी इंजीनियरिंग उद्योगों में संविदा श्रमशक्ति नियोजन की अनुमति प्रदान की जानी चाहिये। इस संबंध में बैठक में उपस्थित श्रम प्रवर्तन अधिकारी, ऊधम सिंह नगर द्वारा अवगत कराया गया की सन्दर्भित बिन्दु पर शासन द्वारा निर्णय लिया जाना है जिस हेतु विगत बैठक में संविदा श्रम अधिनियम 1970 की धारा 10 में छूट चाहने वाली इकाईयों को पूर्ण स्पष्ट औचित्य एवं अभिलेखों सहित अपना आवदेन कार्यालय, सहायक श्रम अधिकारी, ऊधम सिंह नगर में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिससे कि प्रकरण मुख्यालय के माध्यम से शासन को विचारार्थ प्रेषित किया जा सके, परन्तु कार्यालय में एक भी इकाई द्वारा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस पर सचिव के0जी0सी0सी0आई0 श्री आलोक कुमार गोयल एवं अध्यक्ष एस0ई0डब्ल्यू0एस0 श्री आशुतोष शर्मा द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि इस संबंध में उनके द्वारा इकाईयों के नाम व इकाईयों की गतिविधियां सहित सूची तैयार कर कार्यालय सहायक श्रम अधिकारी, ऊधम सिंह नगर में उपलब्ध कराई गई थी परन्तु उस पर आतिथि तक कोई विचार नहीं किया गया।	आवेदन कार्यालय सहायक श्रम अधिकारी, ऊधम सिंह नगर में प्रस्तुत करें एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी, ऊधम सिंह नगर को निर्देशित किया गया कि वह उक्त आवेदन पत्रों को संकलित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।	इकाईयों से अनुरोध किया गया था कि जो भी इकाईयां संविदा श्रम अधिनियम 1970 की धारा 10 में छूट चाहती हैं, वे इकाईयां पूर्ण स्पष्ट औचित्य एवं अभिलेखों सहित आवदेन कार्यालय में प्रस्तुत करा दें, जिससे कि प्रकरण मुख्यालय के माध्यम से शासन को विचारार्थ प्रेषित किया जा सके। उक्त के संबंध में किसी भी इकाई द्वारा कार्यालय उप श्रम आयुक्त ऊधम सिंह नगर में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5	**रूद्रपुर में वेयरहाऊस की स्थापना के सम्बन्ध में।**	उक्त के संबंध में क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि वेयर हाउस हेतु टैण्डर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है एवं शीघ्र ही उक्त कार्य आरम्भ करा दिया जायेगा।		**अवर अभियन्ता सिविल, सिडकुल पन्तनगर** द्वारा पत्रांक रहित पत्र के माध्यम से द्वारा अवगत कराया गया है कि वेयर हाऊस की बाउन्ड्रीवाल का कार्य गतिमान हैं।
6	**मैथनॉल के लाईसेन्स की वैधता 5 साल के लिए किये जाने के सम्बन्ध में।**	बैठक में औद्योगिक प्रतिनिधियों द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उद्योगों में उपयोग होने वाले मैथनॉल लाईसेंस की वैधता मात्र 1 वर्ष के लिए होती है, जिसके उपरान्त पुनः लाईसेन्स जारी कराने में उद्यमियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उद्यमियों द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त लाइसेन्स की वैधता 1 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिये। बैठक में उपस्थित आबकारी निरीक्षक	अध्यक्ष महोदय द्वारा आबकारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि उक्त बैठक का संदर्भ देते हुए पुनः एक पत्र शासन को प्रेषित करें, जिसमें निम्न बिंदुओं का समावेश भी किया जाए – 1. मैथनॉल ट्रांसपोर्ट में लगे वाहनों में सी0सी0टी0वी0 व जी0पी0एस0 ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिये ताकि टैंकरों के आवागमन की	**जिला आबकारी अधिकारी, ऊधम सिंह नगर** अद्यतन प्रगति से अवगत कराये।

		श्री महेन्द्र सिंह बिष्ट द्वारा सदन को अवगत कराया गया लाइसेन्स की वैधता 05 वर्ष करने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में उक्त अवधि को यथावत 01 वर्ष बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया है। श्री बिष्ट द्वारा अवगत कराया गया कि लाइसेन्स की वैधता अवधि बढ़ाने पर अधिक मात्र में मैथनॉल एकत्र होने एवं इसके दुरूपयोग होने की सभावना अधिक बढ़ सकती है चूंकि मैथनॉल से जहरीली शराब बनाने का खतरा भी बना रहता है। इस पर औद्योगिक प्रतिनिधियों द्वारा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया कि मैथनॉल में उपयोग होने वाले टैंकरों में जी0पी0एस0 लगाये जाने चाहिये ताकि उनके आवागमन पर निगरानी रखी जा सके।	निगरानी की जा सके। 2. मैथनॉल लाइसेंस बनवाने एवं नवीनीकरण कराने सहित लाइसेंस से संबंधित आदि समस्त प्रक्रियायें ऑनलाइन की जानी चाहिये ताकि कार्य में अनावश्यक देरी व लापरवाही पर अंकुश लग सके।	
7	**नॉन अटेटमैन्ट सिटी काशीपुर के सम्बन्ध में काशीपुर क्षेत्र के उद्यमियों से चर्चा।**	बैठक में उपस्थित प्रतिनिधि, क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय कार्य की व्यस्ता के कारण क्षेत्रीय अधिकारी उक्त बैठक में उपस्थित नहीं हो पाये। इस पर सदस्य सचिव/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र उधम सिंह नगर द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काशीपुर से प्राप्त पत्र का संदर्भ देते हुए सदन को अवगत कराया गया कि ''काशीपुर के वायु प्रदूषण को कम किये जाने हेतु एक्शन प्लान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। वायु प्रदूषण को कम किये जाने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम काशीपुर, परिवहन विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग, कृषि विभाग एवं जिला विकास प्राधिकरण से संबंधित कई बिन्दु एक्शन प्लान में सम्मिलित किये गये हैं, जिन पर कार्यवाही गतिमान है। एक्शन प्लान के कियान्वयन के लिए समिति की बैठकें आयोजित कराई जा रही है।''	अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि काशीपुर क्षेत्र की वायु गुणवत्ता (Air Quality) ज्यादा अच्छी नहीं है। हमें मिलकर प्रयास करना होगा तभी हम वायु प्रदूषण को कम कर पाएंगे। मात्र पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रयास करने से समस्या का समाधान संभव नहीं है यह एक सामाजिक दायित्व का विषय है जिस पर सभी को मिलकर कार्य करना एवं जागरूकता करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय द्वारा औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों एवं औद्योगिक संघ के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि वह भी अपने–अपने स्तर से वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए आमजन को जागरूक करें।	**क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर** द्वारा अपने पत्र सं0 120 दिनांक 19.08.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) परियोजना के अन्तर्गत काशीपुर शहर को नॉन अटैनमेन्ट सिटी के रूप में चिन्हित किया गया है, जिस हेतु काशीपुर के वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्य योजना (Action Plan) अनुमोदित की गयी है। अनुमोदित कार्ययोजना में सम्बन्धित विभागों द्वारा उनके लिये निर्धारित बिन्दुओं के अनुसार निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तराखण्ड द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उद्योगों में पैट कोक एवं फर्नेस ऑयल पूर्णतय प्रतिबन्धित किया गया है। ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इकाईयों में हाई ड्राफ्ट (जिग जैग प्रणाली) की स्थापना एवं इन्डेकशन फर्नेस युक्त इकाईयों में Side Draft with Bag Filter/Ventury Scrubber की स्थापनाओं को अनिवार्य किया गया है। उक्त के अनुपालन में जनपद ऊधमसिंहनगर में कुल 43

				ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इकाईयों एंव 11 इन्डेक्शन फर्नेस युक्त इकाईयों द्वारा उक्त आदेशों का अनुपालन कर लिया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के निर्देशानुसार, काशीपुर परिक्षेत्र में पैट कोक ईंधन आधारित 05 इकाईयों द्वारा पैट कोक का प्रयोग बंद कर दिया गया है एवं सम्पूर्ण जनपद में पैट कोक ईंधन को 31.03.2024 के बाद पूर्णतः प्रतिबन्धित कर दिया गया है। अग्रेत्तर इसी क्रम में विभिन्न उद्योगों द्वारा धूल नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से उद्योग परिसर के अन्दर के मार्गों को पेवमेन्ट अथवा पक्का कराया गया है। काशीविश्वनाथ स्टील, गलवलिया इस्पात, देवअर्पण फूड, नैनी पेपर्स आदि इकाईयों द्वारा पेवमेन्ट आदि के कार्य कर लिये गये है। नॉन अटैनमेन्ट सिटी काशीपुर हेतु निर्धारित/प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न हित धारकों के साथ बैठके की जाती रही है। दिनांक 13.01.2023 को भी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नगर निगम, विकास प्राधिकरण स्थानीय प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, परिवहन विभाग, खनन विभाग, खाद्य विभाग, कृषि विभाग आदि के साथ समीक्षा बैठक की गयी

8	**महुआखेड़ागंज रेलवे क्रासिंग से खाईखेड़ा तक रोड की दयनीय स्थिति के संबंध में।**	बैठक में सचिव के0जी0सी0सी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि महुआखेडागंज काशीपुर का मुख्य मार्ग एवं अन्तरिक मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त है, जिससे आवागमन में समस्या उत्पन्न होती है एवं दुर्घटनाओं की सम्भावना बनी रहती है। इस पर बैठक में उपस्थित सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि महुआखेडागंज रेलवे क्रासिंग से खाईखेडा तक (ढकिया–गुलाबो–पेगा–मुकुन्दपुर मार्ग सं0 105) मार्ग की कुल लम्बाई 25.757 कि0मी0 है। मार्ग के कि0मी0 11 से 16 तक प्रभाग क्षतिग्रस्त है। जिसमें से किमी 11.00 से 13.700 (कुल दूरी 02.70) तक का प्रभाग पुनः निर्माण हेतु टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है एवं माह मई 2023 में कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा, जिसे 31 दिसंबर, 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही किमी 13. 700 से 16.000 तक प्रभाग के 2.30 कि0मी0 लम्बाई के पुनः निर्माण हेतु शासन से रू0 452.68 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्तमान में उक्त प्रभाग में डी0बी0एम0 द्वितीय लेयर तक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य 30 जून, 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।	अध्यक्ष महोदय द्वारा सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर को निर्देशित किया गया कि जिन मार्गों की निविदायें खोली जा चुकी हैं, उन पर यथाशीघ्र कार्य आरम्भ कराया जाये एवं जो मार्ग खराब है उनकी मरम्मत हेतु प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	**अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर** द्वारा अपने पत्र संख्या 1807 / दिनॉक 19.08.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि महुआखेडागंज रेलवे क्रॅासिंग से खाईखेडा तक (ढकिया–गुलाबो–पेगा–मुकुन्दपुर मार्ग सं0 105) के कि0मी0 11 से 19 तक प्रभाग की लम्बाई 8.625 किमी है, जो पूर्व में क्षतिग्रस्त था। उक्त प्रभाग की चैनवाईज स्थिति निम्नवत है – **(1) चै0 10.000 से 13.700 –** उक्त प्रभाग के पुनः निर्माण हेतु स्वीकृति शा0सं01 / 110015 / 2023 (ई0फाईल सं0 28686) दिनांक 25.03.2023 के द्वारा 2.70 कि0मी0 लम्बाई एवं लागत रू0 553.25 लाख की प्राप्त हुई है। वर्तमान में डब्ल्यू0एम0एम0 तक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्षाकाल समाप्त होने के उपरान्त डी0बी0एम0 / बी0सी0 का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा। उक्त भाग का कार्य पूर्ण होने के पश्चात मार्ग का सम्पूर्ण भाग (महुआखेड़ागंज रेलवे क्रासिंग से खाईखेड़ा तक) सुगम यातायात के लिए उपलब्ध हो जायेगा।
09	**उद्योगों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में।**	बैठक में अध्यक्ष एस0ई0डब्ल्यू0एस0, एस0एस0आई0डब्ल्यू0ए0 एवं सचिव के0जी0सी0सी0आई0 द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वर्तमान में भी विद्युत विभाग द्वारा विद्युत की अनियमित कटौती की जा रही है, जिससे उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि अनियमित ट्रिपिंग की सूचना भी संबंधित क्षेत्र की इकाईयों / औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों को नहीं दी जा रही है, जिससे फर्निश उद्योगों को एवं अन्य उत्पादन कार्य कर रहे उद्योगों को काफी हानि होती है। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड रुद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में रुद्रपुर क्षेत्र अंतर्गत उद्योगों से किसी भी प्रकार की अनियमित कटौती नहीं की जा रही है। इस पर सचिव के0जी0सी0सी0आई0 द्वारा		**अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर** अद्यतन प्रगति से अवत करायें।

		सदन को अवगत कराया गया कि हो सकता है कि रूद्रपुर क्षेत्र में कटौती न की जा रही हो परन्तु जसपुर एवं बरी तहसील किच्छा क्षेत्र में निरंतर अनियमित कटौती की जा रही है, जिससे उत्पादन कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, एवं सम्भवतः इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी अनियमित कटौती की जा रही होगी। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि घरेलू फीडर व औद्योगिक फीडरों को अलग–अलग किया जाना चाहिये साथ ही औद्योगिक इकईयों हेतु सर्किट ब्रेकर्स लगाने चाहिये ताकि जितने क्षेत्र में मेंटेनेंश कार्य किया जाये, उतने क्षेत्र की विद्युत कटौती की जाये शेष क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुचारू रह सके।		
10	**सिडकुल चौकी को थाने के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में।**	उपाध्यक्ष एस0ई0डब्लू0एस0, पन्तनगर द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सिडकुल में स्थापित उद्योगों में बडी संख्या में कार्मिक कार्यरत हैं। उद्योगों में रात्रि शिफ्ट में भी कार्य किया जाता है, जिसमें रात्रि के समय लूटपाट की घटनायें होती रहती हैं एवं कई बार ट्रैफिक भी अनियंत्रित हो जाता है। चूॅकि सिडकुल चौकी में पुलिस कार्मिकों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप कम है। इस पर उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि सिडकुल चौकी को थाने के रूप में परिवर्तित किया जाये। उक्त के अतिरिक्त में सचिव के0जी0सी0सी0आई0 के द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि पूर्व में औद्योगिक आस्थान काशीपुर में पुलिस पिकेट बनाया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा नियमित ड्यूटी की जाती थी। वर्तमान में उक्त ड्यूटी नहीं की जा रही है। इस संदर्भ में उनके द्वारा उक्त पिकेट को पुनः सुचारू कराये जाने एवं नियमित रूप से पुलिस कर्मियों की तैनाती किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।	इस पर क्षेत्रीय प्रबंधक, सिडकुल पंतनगर द्वारा सदन को अवगत कराया गया के सिडकुल चौकी को थाने के रूप में परिवर्तित करने हेतु पत्र शासन को प्रेषित किया गया है।	**अद्यतन कार्यावाही अपेक्षित।**
11	**सिडकुल परिसर में दुकानों एवं शौचालय के आवंटन के सम्बन्ध में।**	बैठक में उपस्थित उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल पन्तनगर में दुकानों को सुचारू किया जाना अत्यन्त आवश्यक है चूंकि सिडकुल इकाईयों में कार्यरत कार्मिक रेडी आदि से खाने–पीने की वस्तुयें क्रय करते हैं, जिससे सिडकुल परिक्षेत्र में गंदगी		अवर अभियन्ता सिविल, सिडकुल पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि सिडकुल परिसर में 03 शौचालय सुचारू है तथा दिनांक 18. 08.2023 को प्रबन्ध निदेशक महोदय, द्वारा निर्देश दिये गये है कि आवंटित दुकानदारों से दुकानों

		बढ़ती है एवं सड़कें बाधित रहती हैं। क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि दुकानों के आवंटन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही सिडकुल मुख्यालय स्तर पर की जानी है, जिस हेतु रिक्त दुकानों की सूची तैयार कर सिडकुल मुख्यालय प्रेषित कर दी गई है, जिस पर कार्यवाही गतिमान है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि सिडकुल पंतनगर में 03 शौचालय सुचारू रूप में गतिमान हैं।		को वापस देने हेतु वार्ता करते हुये सिडकुल मुख्यालय को अवगत करवाये, जिस पर कार्यवाही गतिमान है।
12	**सिडकुल पन्तनगर में पार्किंग व्यवस्था के सम्बन्ध में।**	बैठक में उपस्थित उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल पन्तनगर में दुकानों को सुचारू किया जाना अत्यन्त आवश्यक है चूंकि सिडकुल इकाईयों में कार्यरत कार्मिक रेडी आदि से खाने–पीने की वस्तुयें क्रय करते हैं, जिससे सिडकुल परिक्षेत्र में गंदगी बढ़ती है एवं सड़कें बाधित रहती हैं। क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि दुकानों के आवंटन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही सिडकुल मुख्यालय स्तर पर की जानी है, जिस हेतु रिक्त दुकानों की सूची तैयार कर सिडकुल मुख्यालय प्रेषित कर दी गई है, जिस पर कार्यवाही गतिमान है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि सिडकुल पंतनगर में 03 शौचालय सुचारू रूप में गतिमान हैं।		**अवर अभियन्ता सिविल, सिडकुल पन्तनगर** द्वारा पत्रांक रहित पत्र के माध्यम से द्वारा अवगत कराया गया है कि सिडकुल पन्तनगर द्वारा पार्किंग व्यवस्था की गई है तथा सिडकुल प्रशासन व पुलिस विभाग के द्वारा चालान की कार्यावाही समय समय पर की जा रही है। **2–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर** द्वारा अपने पत्र 9420 दिनॉक 16.08.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि सिडकुल पंतनगर प्रवर्तन कार्यवाही कर 368 वाहनों का चालान किया गया है।
13	**सिडकुल के मार्ग पर बस चलाने के संबंध में।**	अध्यक्ष एस0ई0डब्ल्यू0एस0 द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि पूर्व में बस का संचालन किया जा रहा था परन्तु वर्तमान में बस सिडकुल के अन्तरिक मार्गों पर न आकर बाहर से ही निकल जाती है, जिससे श्रमिकों को आवागमन में समस्या उत्पन्न हो रही है। बैठक में उपस्थित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऊधम सिंह नगर द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि सिडकुल में पर्याप्त सवारी न मिलने के कारण बस सिडकुल के आन्तरिक मार्गों पर नहीं जाती है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व में उनके द्वारा स्वयं बसों की निगरानी की गई,	अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित औद्योगिक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि बसों के संचालन एवं बस स्टॉप के संबंध में क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पन्तनगर के साथ पृथक से बैठक कर इकाई के कर्मचारियों के हितों/सुगमता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें एवं आगामी बैठक में कार्ययोजना से अवगत करायें।	**1–क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर** द्वारा अपने पत्र सं0 281 दिनांक 25.07.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि औद्योगिक इकाईयों को बसों के माध्यम से आवागमन करने वाले कार्मिकों की संख्या का विवरण सिडकुल पन्तनगर कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है। **2–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर** द्वारा अपने पत्र 9420 दिनॉक 16.08.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि सिडकुल पन्तनगर मार्ग पर इंटरसिटी बसों का संचालन सुचारू रूप से कर

		बसें प्रतिदिन सिडकुल पन्तनगर के आन्तरिक मार्गों पर जा रही थीं परन्तु सवारी न मिलने के कारण वर्तमान में बसें अन्दर न जाकर बाहर के रास्ते से होकर जा रही हैं। क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल पन्तनगर में कार्यरत अधिकांश कर्मचारी स्वयं के वाहनों से आवागमन करते हैं एवं यह भी स्पष्ट नहीं है कि कितने कर्मचारी सिडकुल में आवागमन हेतु बसों का उपयोग करते हैं। उनके द्वारा सदन के सम्मुख सुझाव प्रस्तुत किया गया कि सिडकुल की समस्त इकाईयां अपनी–अपनी इकाई में सर्वे करें कि उनकी इकाई में कितने कर्मचारी बसों से आते हैं एवं कितने स्वयं के वाहन से आते हैं। चूंकि इससे स्पष्ट हो जायेगा कि कितने व्यक्तियों को बसों की आवश्यकता है एवं किन इकाईयों के ज्यादा कर्मचारी बसों से आवागमन करते हैं ताकि इन इकाईयों के मध्यम ही बस स्टॉप बनाया जाये। इस पर समस्त उद्यमियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।		दिया गया है।
14	**रिद्धि सिद्धि कम्पनी के पास बाईपास रोड बनाने के संबंध में।**	अध्यक्ष एस0ई0डब्ल्यू0एस0 द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि उक्त बाईपास रोड का बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उनके द्वारा कहा गया कि यदि भविष्य में उक्त मार्ग के आस–पास कोई घटना घटती है, तो इकाई में कार्य कर रहे कर्मचारियों के निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। उक्त बिन्दु के संबंध में सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि बाईपास निर्माण हेतु प्रथम चरण का आगणन 550 मीटर लम्बाई व लागत रू0 2.25 लाख तैयार कर क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर को उपलब्ध करा दिया गया है।	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि मै० रिद्धि सिद्धि कम्पनी के पास बाईपास रोड हेतु नया डिजाइन बनाया जाना है, जिस हेतु सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। अग्रिम कार्यवाही गतिमान है।	**1– अवर अभियन्ता सिविल, सिडकुल पन्तनगर** द्वारा पत्रांक रहित पत्र के माध्यम से द्वारा अवगत कराया गया है कि सिचाई विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली गयी है तथा मुख्यालय द्वारा उक्त मार्ग का सर्वे कार्य पूर्ण कर दिया सर्वे कार्य पूर्ण कर दिया गया है जिसके तहत अग्रिम कार्यवाही गतिमान है। **2– अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 रूद्रपुर** अद्यतन प्रगति से अवगत करायें।
15	**Foot Over Bridge के संबंध में।**	अध्यक्ष एस0ई0डब्ल्यू0एस0 द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सिडकुल के अधिकांश कर्मचारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करते हैं एवं पारले चौक, ब्रिटानिया चौक और मैट्रोपोलिस मॉल के पास कर्मचारियों को सड़क पार करने में अत्यधिक कठिनाई होती है क्योंकि ये सभी स्थान नेशनल हाईवे से सम्बद्ध हैं एवं नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की गति काफी तेज		**प्रबन्धक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर** द्वारा ईमेल के माध्यम से टिप्पणी प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रुद्रपुर द्वारा फुट ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य हेतु निविदा आंमत्रित की गई थीं, जिसमे तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन करा लिया गया हैं। जल्द ही

		रहती है। उनके द्वारा पारले चौक, ब्रिटानिया चौक और मैट्रोपोलिस मॉल के पास Foot Over Bridge बनाने का अनुरोध किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर से कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बैठक में उपस्थित नहीं होने पर सदय सचिव, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि प्रबन्धक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर द्वारा उक्त बिन्दु पर ई–मेल के माध्यम से टिप्पणी प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि फुट ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य हेतु निविदा आंमत्रित की गई थीं, जिसमे तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन करा लिया गया है तथा वित्तीय निविदायें खोली जानी हैं। जल्द ही कार्यदायी संस्था का चयन करते हुए, कार्यदायी संस्था को कार्य प्रारम्भ कराने हेतु तिथि दी जोयगी।		कार्यदायी संस्था का चयन करते हुए, कार्यदायी संस्था को कार्य प्रारम्भ कराने हेतु तिथि निर्धारित की जोयगी।
16	**ई0एस0आई0सी0 अस्पताल से सिडकुल पन्तनगर के समस्त सेक्टरों के लिए कनेक्टिंग रोड के संबंध में।**	अध्यक्ष एस0ई0डब्ल्यू0एस0 पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल, पन्तनगर और ई0एस0आई0सी0 हॉस्पिटल के बीच एक कनेक्टिंग रोड की आवश्यकता है चूंकि कर्मचारियों को अस्पताल तक पहुंचने में काफी दूरी तय करनी पड़ती है। साथ ही ई0एस0आई0सी0 हॉस्पिटल में कार्य शुरू होने पर सिडकुल इन्टरप्रिन्योर वैलफेयर सोसाइटी एवं उपस्थित उद्यमियों द्वारा अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्व विभाग से प्राप्त होना अपेक्षित है तथा वर्तमान में अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित कार्य गतिमान है। उक्त के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये द्वितीय चरण का आगणन रू0 340.29 लाख की स्वीकृति सिडकुल द्वारा प्रदान कर दी गई है एंव एम0ओ0यू0 भी हस्ताक्षरित हो गया है। शीघ्र ही स्थल पर लो0नि0वि0 द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।		**1– अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 रूद्रपुर** अद्यतन प्रगति से अवगत करायें। **2– अवर अभियन्ता सिविल, सिडकुल पन्तनगर** द्वारा पत्रांक रहित पत्र के माध्यम से द्वारा अवगत कराया गया है कि सिंचाई विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली गई है तथा मुख्यालय द्वारा उक्त मार्ग का सर्वे कार्य पूर्ण कर दिया गया है, जिसके तहत अग्रिम कार्यवाही गतिमान है।

17	**एल्डिको सिडकुल औ0 पार्क, सितारगंज के फेज–2 में विद्युत आपूर्ति हेतु नए सब स्टेशन निर्माण के सम्बन्ध में।**	अध्यक्ष एस0एस0आई0डब्ल्यू0ए0 श्री कृष्ण सत्यवली द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि औद्योगिक क्षेत्र सितारगंज फेज–02 में 25 से 30 इकाईयां प्रस्तावित हैं परन्तु विद्युत सब–स्टेशन संचालित न होने के कारण उक्त इकाईयां स्थापित नहीं हो पा रही हैं। क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, सितारगंज द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था यू0पी0आर0एन0एन0 विद्युत इकाई बरेली के परियोजना प्रबन्धक द्वारा विगत उद्योग मित्र की बैठकों में यह आश्वस्त किया गया था कि प्लास्टिक पार्क के समीप एवं एक अतिरिक्त सब–स्टेशन के निर्माण कार्य को पूर्ण कर ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा किन्तु आतिथि तक कार्य की प्रगति शून्य है। इस संबंध में कार्यदायी संस्था को कार्य को अविलम्ब पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संस्था द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना का आदान–प्रदान भी नहीं किया जा रहा है परन्तु अतिरिक्त धनराशि की मांग निरन्तर की जा रही है। इस पर बैठक में उपस्थित श्री कृष्ण कुमार जोशी, जे0ई0 यू0पी0आर0एन0एन0 लि0, बरेली द्वारा अवगत कराया गया कि सब–स्टेशन ऊर्जीकृत कराये जाने का कार्य शिवा इलेक्ट्रिकल संस्था के माध्यम से कराया जा रहा है। एक विद्युत कप्लर चौरी हो जाने के कारण उक्त विद्युत लाइन आरम्भ नहीं हो पाई है। उक्त कप्लर जर्मनी से आयात किया जाना है, जिसके आने के उपरान्त सब–स्टेशन को ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा।	अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, सितारगंज को निर्देशित किया गया कि जब तक यू0पी0आर0एन0एन0 पूर्व में व्यय धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध न करा दे तब तक किसी भी प्रकार से अतिरिक्त धनराशि न दी जाये। साथ ही इनके द्वारा कार्य में बरती जा रही लापरवाही एवं हीलाहवाली के संबंध में उच्चाधिकारियों से पत्राचार करें एवं आवंटित कार्य समय पर पूर्ण न होने एवं अनियमित्ता पाये जाने पर यू0पी0आर0एन0एन0 बरेली के विरूद्ध वाद भी दायर करें।	**1–क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, सितारगंज** द्वारा अपने पत्र सं0 411 दिनॉक 19.08.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय से मुख्यालय पत्राचार भी किया गया जिसके सापेक्ष सिडकुल मुख्यालय स्तर से कार्यदायी संस्था यू०पी०आर०एन०एन०, विद्युत इकाई, बरेली को पत्राचार के माध्यम से तीनों सब–स्टेशन के निर्माण से सम्बन्धित स्थिति को अवगत कराया गया है लेकिन यू०पी०आर०एन०एन०, विद्युत इकाई, बरेली इस सम्बन्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई ळें **2–अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0आर0एन0एन0 बरेली** अद्यतन प्रगति से अवगत करायेंगे।
17	**सितारगंज से एल्डिको सिडकुल औद्योगिक पार्क तक सड़क की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराए जाने के संबंध में।**	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, खटीमा द्वारा अवगत कराया गया कि रामनगर–कालादुंगी–काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज –बिज्टी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–41) के अन्तर्गत सितारगंज से एल्डिको सिडकुल औद्योगिक पार्क तक मार्ग के किमी 96 से 111 तक कुल 15.00 किमी लम्बाई में मार्ग पूर्णतः डामरीकृत है एवं इस पर यातायात सुलभ है। उक्त मार्ग किमी 96 से 100 तक के प्रभाग के समानान्तर स्थित पूर्व निर्मित सिडकुल मार्ग के		**अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 खटीमा** अद्यतन प्रगति से अवगत करायेंगे।

		सुधारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु निक्षेप मद में लम्बाई 4 किमी एवं लागत रू0 478.05 लाख की धनराशि सिडकुल द्वारा खण्ड में स्वीकृत की गई है, जिसके सापेक्ष कार्य प्रगति पर है। मार्ग के चौड़ीकरण हेतु केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि (CRIF) के अन्तर्गत मार्ग की 15.50 किमी लम्बाई में Two Lane with paved shoulder के कार्य का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिस पर वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाई है। जिसके पश्चात कार्यालय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा उक्त मार्ग के किमी 100 से 110 तक मार्ग का Two Lane with paved shoulder द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य लम्बाई 11 किमी एवं लागत 1682.00 लाख का आगणन विशेष सहायता योजना वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत पुनः शासन को प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है एवं कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड सितारगंज, ऊधम सिंह नगर द्वारा उक्त मार्ग से यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु रू0 126.86 लाख का आगणन इस खण्ड में उपलब्ध कराया गया है, जिसको तकनीकी संप्रेक्षा परीक्षण के उपरान्त शासन को प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है		
19	सिडकुल परिसर में धरना/आन्दोलनों को रोकने के संबंध में।	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, सितारगंज द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में दिनांक 24.04.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय में सिडकुल एसोशिएसन व औद्योगिक इकाईयों के साथ बैठक की गयी तथा उनको निर्देशित किया गया कि वे अपनी इकाई में कार्मिकों/श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं के सुचारू निष्पादन हेतु प्रत्येक माह एक बैठक का आयोजन करें एवं कार्मिकों/श्रमिकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें। क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल औद्योगिक संगठनों से वार्ता कर अवगत कराया गया है कि धरना/आन्दोलनों को सिडकुल परिसर में नही किया जायेगा तथा धरना/आन्दोलनों हेतु स्थल की अनुमति	अध्यक्ष महोदय द्वारा औद्योगिक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि कर्मचारियों के प्रकरण निष्पादन हेतु प्रत्येक माह एक बैठक का आयोजन करें ताकि समस्त कार्मिक अपनी समस्या इकाई प्रबन्धन के सम्मुख रख सकें। इस प्रकार से समस्याओं का समाधान त्वरित गति से होगा एवं कम्युनिकेशन गैप भी कम होगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि श्रमिकों को उचित वेतन व निर्धारित अवधि के अतिरिक्त प्लांट में न रोका जाये, यदि रोकते भी हैं, तो इसके लिए कम्पनी से नियमानुसार संबंधितों को वेतन का भुगतान अवश्य करें।	1– **क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, सितारगंज** द्वारा अपने पत्र सं0 411 दिनांक 19.08.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय सितारगंज सिडकुल में एसोसिएशन एवं औद्योगिक इकाइयों के साथ प्रत्येक माह बैठक की जाती है एवं औद्योगिक इकाइयों को निर्देशित किया गया है कि वह अपनी इकाई में कार्मिकों/श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं के सुचारू निष्पादन हेतु उनके साथ माह में एक बैठक का आयोजन करें एवं कार्मिक श्रमिकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें। 2– **अवर अभियन्ता सिविल, सिडकुल पन्तनगर** द्वारा अपने पत्रांक रहित पत्र पत्र के माध्यम से

		उपजिलाधिकारी महोदय अथवा प्रशासन से प्राप्त करनी होगी।		अवगत कराया है कि सिडकुल समिति से वार्ता कर धरना/आन्दोलनों को सिडकुल परिसर में नही किया जायेगा। तथा धरना/आन्दोलनों हेतु स्थल की अनुमति उपजिलाधिकारी महोदय अथवा प्रषासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
20	**पन्तनगर से रूद्रपुर के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर किये जा रहे कार्य के सम्बन्ध में।**	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर से कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बैठक में उपस्थित नहीं होने पर सदय सचिव, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि प्रबन्धक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर द्वारा उक्त बिन्दु पर ई–मेल के माध्यम से टिप्पणी प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि परियोजना की कुल लम्बाई–49.780 कि.मी. में से 36.59 कि.मी. (55 प्रतिशत) में चौड़ीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था मै0 सदभाव् नैनीताल हा0 लि0 द्वारा पूर्ण करा लिया गया है। अवशेष कार्य में हो रहे विलम्ब को देखते हुए भा.रा.रा.प्रा. द्वारा अवशेष कार्य अन्य संवेदक मै0 गाबर कन्सट्रक्सन के माध्यम से कराया जा रहा है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।		**प्रबन्धक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर** द्वारा ईमेल के माध्यम से टिप्पणी प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि उक्त अनुभाग में निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया है। यातायात सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। उक्त के अतिरिक्त अवशेष भाग में निर्माण कार्य अन्य संवेदक मै गाबर कंस्ट्रक्सन के माध्यम से कराया जा रहा है।
21	**एन0एच0 74 एवं 87 के अधूरे निर्माण के सम्बन्ध में।**	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर के कार्यालय से प्राप्त ई–मेल के कम में सदय सचिव, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 74 (काशीपुर–सितारगंज अनुभाग) के कि0मी0 175 से कि0मी0 252.200 तक के चार लेन चौड़ीकरण का निर्माण का कार्य BOT (Toll) पद्धति के आधार पर कार्यदायी संस्था, मै0 काशीपुर सितारगंज हाईवे प्रा0 लि0 के माध्यम से कराया जा रहा है, जिस हेतु कुल लम्बाई 77.200 कि.मी. के सापेक्ष 77.200 कि.मी. में मैनकेरीज वे का निर्माण कार्य 30.12.2022 को पूर्ण करा दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–87 के संबंध में अवगत कराया गया है कि परियोजना की कुल लम्बाई–49.780 कि.मी. में से 36.59 कि.मी. (55 प्रतिशत)		**प्रबन्धक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर** द्वारा ईमेल के माध्यम से टिप्पणी प्रेषित करते हुए एन0एच0 74 व 87 के संबंध में निम्न प्रकार अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया है कि – **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–74** – अवगत कराना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–74 (काशीपुर–सितारगंज अनुभाग) के कि0मी0 175 से कि0मी0 252.200 तक के चार लेन चौड़ीकरण का निर्माण का कार्य BOT (Toll) पद्धति के आधार पर कार्यदायी संस्था, मै0 काशीपुर सितारगंज हाईवे प्रा0 लि0 के माध्यम से कराया जा रहा है, जिस हेतु कुल लम्बाई 77.200 कि.मी. के सापेक्ष 77.200 कि.मी. में मैनकेरीज वे का निर्माण कार्य 30.12.

		में चौड़ीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था मै0 सदभाव् नैनीताल हा0 लि0 द्वारा पूर्ण करा लिया गया है। अवशेष कार्य में हो रहे विलम्ब को देखते हुए भा.रा.रा.प्रा. द्वारा अवशेष कार्य अन्य संवेदक मै0 गाबर कन्सट्रक्सन के माध्यम से कराया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है, जो कि जून 2024 तक पूर्ण किया जाना है। परियोजना की कुल लम्बाई 49.780 कि.मी. में से 36.59 कि.मी. (55 प्रतिशत) में चौड़ीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था मै0 सदभाव् नैनीताल हा0 लि0 द्वारा पूर्ण करा लिया गया है। अवशेष कार्य में हो रहे विलम्ब को देखते हुए भा.रा.रा.प्रा. द्वारा अवशेष कार्य अन्य संवेदक मै0 गाबर कन्सट्रक्सन के माध्यम से कराया जा रहा है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।		2022 को पूर्ण करा दिया गया है। **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–87** – परियोजना की कुल लम्बाई–49.780 कि.मी. में से 36.59 कि.मी. (55 प्रतिशत) में चौड़ीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था मै0 सदभाव् नैनीताल हा0 लि0 द्वारा पूर्ण करा लिया गया है। अवशेष कार्य में हो रहे विलम्ब को देखते हुए भा.रा.रा.प्रा. द्वारा अवशेष कार्य अन्य संवेदक मै0 गाबर कन्सट्रक्सन के माध्यम से कराया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है।
22	**सिडकुल में नालियों की सफाई/मरम्मत के संबंध में।**	अध्यक्ष एस0ई0डब्ल्यू0एस0 द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल में नालियों की सफाई/मरम्मत का कार्य सिडकुल की तरफ से बेहद धीमी गति से किया जा रहा है। कुछ सैक्टरों में बरसाती नालों की सफाई की गयी है। महोदय सिडकुल की सीवर लाइनें लगभग हर जगह चोक हैं एवं नालियों की दिवारे भी टूट गई हैं। इसके बारे में बार–बार सिडकुल कार्यालय, पंतनगर को सूचित किया गया है। इस संबंध में कई इकाईयों द्वारा पत्र सिडकुल कार्यालय, पंतनगर में दिये गये हैं, जैसे – सैक्टर. 9, डविक हाईटेक, दुर्गा फाईबर के पास आई0आई0डी0सी0 में, सैक्टर 4 इमीनेन्ट पावर के पास होलास्टिक इण्डिया के पास, आदि उद्योगों द्वारा पत्र सिडकुल कार्यालय को दिया गया है लेकिन अभी तक कोई भी व्यवस्थित कार्यवाही नहीं की गयी है, पानी के जल जमाव होने से बदबू आना, सड़कों का खराब होना एवं सुरक्षा की दृष्टिकोण से सुरक्षित महसूस नहीं करना बीमारियों के फैलने का डर आदि जैसी समस्यायें बनी रहती है। सचिव के0जी0सी0सी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल में नियमित रूप से नालियों की सफाई न होने से मिट्टी एवं कूड़ा–करकट नालियों में भर जाता है, जिससे नालियां जाम हो जाती हैं, कई स्थानों पर सड़क टूटी हुई है जिससे उन स्थानों पर	अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर को निर्देशित किया गया कि बजट आवंटन से पूर्ण जिन–जिन स्थानों पर जल भराव की समस्या है अथवा जिन स्थानों पर नालियां चौक हो जाती हैं/टूटी हुई हैं, उन स्थानों का सूचीबद्ध कर लिया जाये ताकि बजट आवंटन होने के उपरान्त तुरन्त कार्यवाही की जा सके।	**अवर अभियन्ता सिविल, सिडकुल पन्तनगर** द्वारा अपने पत्रांक रहित पत्रै के माध्यम से अवगत कराया है कि आगणन गठित कर सिडकुल मुख्यालय को प्रेषित किया गया है। मुख्यालय स्तर में पत्रावलियों की जांच व आवश्यक अनुमोदन की कार्यावाही गतिमान है।

		वर्षा का पानी एकत्र हो जाता है, जिस कारण आवागमन में समस्या उत्पन्न होती है। क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पन्तनगर द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर द्वारा रू0 195.78 लाख का आगणन गठित कर प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव सिडकुल मुख्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। सिडकुल प्रबन्धन द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी जानी अपेक्षित है।		
23	**सिडकुल सितारगंज में खली पड़े प्लॉटों में वृक्ष कटान की ONE TIME PERMISSION देने की कृपा की जाये**	अध्यक्ष एस0एस0आई0डब्ल्यू0ए0 द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि सिडकुल सितारगंज में खाली पड़े प्लॉटों पर बहुत अधिक संख्या में वृक्ष लगे हैं, जिस कारण वहां कई बार जंगली जानवरों को देखा जा रहा है, जिससे सिडकुल में कार्यरत व्यक्तियों को जंगली जानवरों के हमले का खतरा बना हुआ है।	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल सितारगंज द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि इस संबंध में अनुमति चाहने हेतु डीएफओ महोदय को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।	**क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल सितारगंज** द्वारा अपने पत्र सं0 411 दिनांक 19.08.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि इस संबंध में उनके द्वारा डी0एफ0ओ0 महोदय, तराई पूर्व से वार्ता की गई, जिसमें महोदय द्वारा कहा गया कि औद्योगिक इकाईयों को वन नियमों के अनुरूप अनुमति प्रदान की जायेगी।
24	**मै0 माँ शीतला वेन्चर्स लिमिटेड के संबंध में।**	बैठक में उपस्थित उक्त इकाई के प्रतिनिधि श्री तुषार अग्रवाल द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि किशनपुर किच्छा में उनके द्वारा मैथनोल प्लांट की स्थापना की जा रही है। इस हेतु उनके द्वारा एकल खिड़की के माध्यम से कैफ आवेदन किया गया था, जिस पर जिला विकास प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर के अतिरिक्त अन्य समस्त विभागों द्वारा प्राथमिक अनुज्ञायें प्रदान कर दी गई हैं। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी इकाई के सामने की सड़क लगभग 9 मीटर चौड़ी है जबकि प्राधिकरण के मानकानुसार 15 मीटर चौड़ी सड़क होना अनिवार्य है, इसी कारण से जिला विकास प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जा रहा है।	अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर के सहायक अभियन्ता से इस संबंध में जानकारी चाहने पर सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क की चौड़ाई लगभग 09 मीटर ही है लेकिन साइडों की फिलिंग करने उपरान्त एवं वहां संचालित नाले को कवर कर उक्त सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है। अध्यक्ष महोदय द्वारा सहायक अभियन्ता, रूद्रपुर को निर्देशित किया गया कि मै0 माँ शीतला वेन्चर्स लिमिटेड के प्रतिनिधि के साथ उक्त मार्ग का निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।	**अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर** अद्यतन प्रगति से अवगत कराये।
25	**सिमला से मलसा, दरउ रोड के चौड़ीकरण किये जाने के संबंध में**	बैठक में पूर्व अध्यक्ष के0जी0सी0सी0आई0 द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि सिमला से	इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण	**अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर** अद्यतन प्रगति से अवगत कराये।

		मलसा दरउ मार्ग पर वर्तमान में औद्योगीकरण हो रहा है, जिस कारण उक्त मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त मार्ग की लम्बाई लगभग 8 कि0मी0 है।	विभाग, रूद्रपुर को निर्देशित किया गया कि उक्त मार्ग का सर्वे कर Two Lane with paved shoulder के कार्य का प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	
26	**उत्तराखण्ड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति –2015 एवं महिला उद्यमी निवेश प्रोत्साहन योजना 2015 के अन्तर्गत प्राप्त ब्याज उपादान दावों को अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में।**	**महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना –** शासनादेश संख्या 2130/15/98/2015 दिनांक 03.11.2015 के द्वारा महिला उद्यमी निवेश प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पात्र इकाईयों को 6 प्रतिशत की दर सें अधिकतम सीमा रू0 5.00 लाख प्रति वर्ष/प्रति इकाई ब्याज उपादान दिये जाने का प्राविधान है। **उत्तराखण्ड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निति–2015 (यथा संशोधित 2020) –** शासनादेश संख्या 680/VII-3-20/146-एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 18.06.20120 के द्वारा पात्र इकाईयों को 5 प्रतिशत की दर सें अधिकतम सीमा रू0 3.00 लाख प्रति वर्ष प्रति इकाई ब्याज उपादान दिये जाने का प्राविधान है।	एजेन्डे के साथ संलग्न सूची के अनुसार महिला उद्यमी निवेश प्रोत्साहन योजना 2015 के अन्तर्गत एवं उत्तराखण्ड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निति–2015 (यथा संशोधित 2020) के अन्तर्गत क्रमशः कुल 41 इकाईयों के रू0 41,67,878.00 एवं 01 इकाईयों को रू0 27,816.00 के ब्याज उपादान आवेदन दावे प्राप्त हुये हैं। योजनान्तर्गत सम्बन्धित शासनादेशानुसार प्राप्त दावों को इस हेतु गठित समिति के सदस्यों से परीक्षण कराकर अनुमोदन हेतु अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अनुमोदन उपरान्त उक्त क्रम में निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून से ब्याज उपादान हेतु बजट की मांग की जायेगी।	**सदस्य सचिव/महाप्रबन्धक, जि0उ0के0, ऊ0सिं0न0** अद्यतन स्थिति से अवगत करायें।

27 औद्योगिक आस्थान, रूद्रपुर, काशीपुर में उपलब्ध भूखण्डों हस्तांतरण व नामान्तरण के संबंध में।

क0 सं0	इकाई का नाम/पता	प्रस्तावित आवेदन	विवरण	विभाग की टिप्पणी	अभ्युक्ति
27.1	मै0 वंश इण्टरप्राईजेज D–9 औद्योगिक आस्थान काशीपुर।	नामान्तरण/ सप्लीमेंन्ट्री डीड (Mutation)	श्रीमती मोनिक्का अगरवाल निवासी टी–4/12 ए–02 सन वर्ल्ड आरिस्ता छपरोली खादर, गौतमबुद्व नगर उत्तरप्रदेश द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा भूखण्ड संख्या D–9 औद्योगिक आस्थान काशीपुर को उनके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा सहारनपुर रोड, देहरादून विक्रय प्रमाण पत्र (ई–आक्सन) दिनांक 27–06–2022 द्वारा नीलामी के माध्यम से क्रय किया गया है।	दिनांक 02.06.2023 की उद्योग मित्र में नामान्तरण/ सप्लीमेंन्ट्री डीड की संस्तुति प्रदान की गयी है एवं अग्रिम अनुमति हेतु निदेशक उद्योग को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। अग्रिम कार्यवाही गतिमान है।	–

			श्रीमती मोनिक्का अगरवाल द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र भूखण्ड डी–9 को उनके द्वारा विभागीय नामान्तरण करने तथा उस भूखण्ड में मै0 वोलो भारत ईकॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से प्लास्टिक के दानों के लिए नई निर्माण इकाई संचालित करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था।		
27.2	मै0 रुद्रा इन्टरप्राईजेज ई–33 फेज प्रथम एवं श्रीमती अनुभा गुप्ता ए–93 आवास विकास रुद्रपुर।	औ0आ0 रूद्रपुर में तिकोना भू भाग 360 स्क्वायर मीटर आवंटित किये जाने विषयक	कार्यालय आदेश संख्या 2582–84 दिनॉक 11.12.2014 के द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काशीपुर को कार्यालय एवं लैब प्रयोगार्थ आवंटित किया गया था। उक्त आवंटित भूमि पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी, जिस हेतु उक्त भूमि विभाग को हस्तान्तरित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये गये है। प्रस्तावित स्थल एक तिकोना भू–भाग जिसे कोई भूखण्ड संख्या आवंटित नही है। मै0 रूद्रा इन्टरप्राईजेज एवं श्रीमती अनुभा गुप्ता द्वारा गद्दे निर्माण की इकाईयों स्थापित करने हेतु इस भूमि हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।	दिनांक 02.06.2023 की उद्योग मित्र में नया विज्ञापन जारी कर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी है। जिसपर उद्योग निदेशालय स्तर से कार्यवाही गतिमान है।	–
27.3	मै0 जगन आटोमोटिव्स प्रो0 आलोक अग्रवाल A–4 औद्योगिक आस्थान काशीपुर	नई इकाई स्थापित किये जाने विषयक	ए–4 में नई इकाई फोर्टिफाइड राईस कर्नेल का उत्पादन किये जाने हेतु अनुमति चाही गई है। जॉच में पाया गया है कि इकाई द्वारा मै0 फार्मूला लाइटिंग (इंडिया) प्राइवेट लि0 कम्पनी कर दिया गया है।	दिनांक 02.06.2023 की उद्योग मित्र में वांछित दस्तावेज उपलब्ध होने के उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं। वांछित प्रपत्रों पर कार्यवाही गतिमान है।	–

27.4	मै0 श्रीराम गारमेंन्टस एण्ड एसेसरीज, ए–6 औद्योगिक आस्थान काशीपुर	साझेदार का नाम परिवर्तन /सप्लीमेंटरी लीजडीड निष्पादित कराये जाने विषयक।	उक्त फर्म के लीज डीड में चारों पार्टनर के मध्य दिनांक 31.08. 1998 में हुई पार्टनरशीप डीड जिसमें श्रीमती सुमन अग्रवाल को 68 प्रतिशत शेयर दिया गया, जिनकी आकस्मिक मृत्यु के उपरान्त वारिसान प्रमाण पत्र/एन.ओ.सी. आतिथि तक प्रस्तुत नही की गयी है और ना ही तत्समय सप्लीमेंटरी डीड निष्पादित की गयी, जबकि फर्म में कई बार बाहर के पार्टनर शामिल किये गये है।	मूल आवंटी के आकस्मिक निधन के फलस्वरुप वारिसान प्रमाण पत्र/एन.ओ.सी. एवं सप्लीमेंटरी डीड निष्पादित नही होने से नये साझेदार/ पार्टनर के रुप में कार्यवाही सम्भव नही है।	साझीदार फर्म /इकाई के पुर्नगठन के मामलों में निर्णाय लेने का अधिकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला उद्योग मित्र समिति को है।
27.5	मै0 जिन्दल कोक इण्डस्ट्रीज, प्रो0 रमेश कुमार अग्रवाल प्लाट सं0 बी–9 औद्योगिक आस्थान रुद्रपुर।	परिवार के सदस्य के पक्ष में नामान्तरण / हस्तान्तरण	इकाई के प्रोपराईटर के द्वारा कैंसर पीड़ित होने के कारण अपने पुत्र के नाम हस्तान्तरण/नामांत्रण के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। परिवार के आश्रितों द्वारा आपसी सहमति से नामांत्रण किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है।	परिवार की सहमती एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रख्यापित नीति के अनुसार नामान्तरण/हस्तान्तरण की स्वीकृति दी जा सकती है।	परिवार के सदस्यों के पक्ष में नामान्तरण/ हस्तान्तरण के मामलों में संस्तुति देने का अधिकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला उद्योग मित्र को है।
एस0ई0डब्ल्यू0एस0 द्वारा उपलब्ध कराये गये नये बिन्दु					
01	**सिडकुल में खराब सड़कों की मरम्मत/नई सड़कें बनाने के संबंध में**	महोदय आपको अवगत कराना चाहते हैं कि बार–बार सड़कों की स्थिति पर सिडकुल कार्यालय को अवगत कराया गया है जिसके फलस्वरुप कुछ सड़कों पर कार्य हुआ भी है परन्तु अभी भी कुछ मुख्य मार्ग बहुत ही क्षतिग्रस्त है, परन्तु हमें यह सूचित करते हुए खेद हो रहा है कि अभी तक इस पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। श्रीमान जी जैसा कि आपको पूर्व में भी अवगत कराया गया था कि सिडकुल के मुख्य मार्गों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और जिसके कारण आये दिन सिडकुल क्षेत्र में दुर्घटना होती रहती हैं। महोदय से निवेदन है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए कम से कम सड़कों को गड्डा मुक्त कर दिया जाये, जिससे कर्मचारियों का आना जाना सुरक्षित सुनिश्चित किया जा सके। अतः आपसे अनुरोध है कि संबंधित को उचित दिशा जारी करने का कष्ट करें ।			
02	**सिडकल में नालियों की सफाई/मरम्मत के संबंध में**	महोदय आपको अवगत कराना चाहते हैं कि सिडकुल क्षेत्र में नालियों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है अर्थात कई स्थानों पर नालियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है जिनकी कोई सुध लेने को लिए तैयार नही है और न ही सफाई करने के लिए । महोदय कुछ सैक्टरों में बरसाती नालों की सफाई की गयी है वह भी पर्याप्त रूप से नही हुई है। महोदय सिडकुल कार्यालय को कई बार इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया है परन्तु आपेक्षित परिणाम नही मिल पा रहें है। महोदय जैसा कि सर्वविदित है कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और अगर उपरोक्त के लिए उचित कदम नही उठाये गये तो सिडकुल में बाढ जैसी स्थिति बन जा रही है।			

		अतः आपसे अनुरोध है कि सम्बन्ध में उचित दिशा जारी करने का कष्ट करें ।	
03	सिडकुल में झाड़ियों की सफाई के संबंध में	महोदय आपको अवगत कराना चाहते है कि सिडकुल क्षेत्र में झाड़ियों की कटाई का कार्य सिडकुल की तरफ से किया जा रहा था जिसको लगभग 25 श्रमिक लगातार कार्य कर रहे थे यह कार्य कुछ दिनों से बन्द होने के पश्चात ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि 25 श्रमिकों द्वारा कार्य की शुरूआत पुनः कर दी गई है। महोदय से निवेदन है कि सिडकुल क्षेत्र में झाडियों की सफाई का कार्य त्वरित गति से पूर्ण कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें ताकि कार्मिकों सुरक्षित महसूस कर सके।	
04	औद्योगिक सम्बन्ध (आईआर) से सम्बन्धित।	महोदय, आपको अवगत कराना चाहते है कि औद्योगिक क्षेत्र पंतनगर में औद्योगिक सम्बन्ध (आई.आर) की स्थिती दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है कुछ श्रमिक संगठनों द्वारा संयुक्त श्रमिक संगठन के नाम से आये दिन सिडकुल पंतनगर के अन्दर धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल जैसे कार्य किये जा रहे हैं जो कि उद्योगों के लिए सही नहीं है। महोदय, जिला प्रशासन द्वारा श्रमिक संगठनों को अपने अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन करना एवं अपनी बातों को सही ढंग से रखने के लिए गांधी पार्क को चिन्हित किया गया है। महोदय आपसे निवेदन है कि ऐसे किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन के लिए सिडकुल पंतनगर क्षेत्र के अन्दर अनुमति नहीं दी जाये एवं उन्हें चिन्हित किये गये स्थान पर ही धरना प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाये।	
05	अघोषित विद्युत कटौती के सम्बन्ध मे।	महोदय आपको अवगत कराना चाहते हैं कि विगत कुछ दिनों से यू.पी.सी.एल. द्वारा प्रत्येक रविवार को अघोषित विद्युत कटौती हो रही है, जिससे उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। महोदय आपको यह भी अवगत कराना चाहते हैं कि लगातार प्रक्रिया वाले उद्योग में भी विद्युत कटौती बिना किसी पूर्व सूचना के की जा रही है। ऐसे उद्योग भी हैं, जहां फरनेस, हीट ट्रीटमेन्ट एवं लगातार प्रक्रिया वाले उद्योगों को कच्चे माल का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अतः महोदय से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को उचित दिशा निर्देश देने की कृपा प्रदान करें।	
06	सौर ऊर्जा/नवीनीकरण ऊर्जा के संबंध में।	महोदय जैसा कि विदित है कि उत्तराखण्ड सरकार ने 01 मेगा वाट तक हरित ऊर्जा का उत्पादन करने की छूट प्रदान की है, जो कि उद्योगों की दृष्टि से कम है। अतः महोदय से निवेदन है कि इस सीमा को बढ़ाकर 07 मेगा वाट तक का उत्पादन करने हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित करने की कृपा प्रदान करें।	
07	बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण के संबंध में।	महोदय, जैसा कि विभाग को पूर्व में भी समय– समय पर अवगत कराया गया है कि उत्तराखंड में केवल एक ही संस्था को बायोमेडिकल) वेस्ट निस्तारण के लिए अधिकृत किया गया है, जिसकी मनमानी के कारण औद्योगिक इकाईओं को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उत्तराखंड में एक और किसी भी संस्था को अनुमोदित कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।	
08	अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने में विलम्ब के संबंध में।	महोदय कुछ उद्योगों को उत्तराखंड प्रदूषण विभाग से विभिन्न प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने में देरी होती है जिसके कारण उद्योगों को कठनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः महोदय से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में संबंधित विभाग को उचित दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें।	
09	प्लास्टिक वेस्ट नियम 2016 का अनुपालन न किये जाने के संबंध में।	महोदय प्लास्टिक वेस्ट नियम 2016 का अनुपालन ना करने वाले कुल 54 औद्योगिक इकाईयों की एनवायरनमेंट कंपनसेशन की गणना बहुत अधिक की गयी थी, जिसकी पुनः गणना करने हेतु सिडकुल एंटरप्रिन्योर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अनुरोध किया था और प्रदूषण विभाग द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि उद्योगों के एनवायरनमेंट कंपनसेशन को पुनः एक बार मूल्यांकित किया जायेगा। अतः आप से विनम्र अनुरोध है कि एनवायरनमेंट कंपनसेशन की पुनः गणना करने के लिए उचित दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें, जिससे कि उद्योगों को राहत मिल सके।	
10	टाटा मोटर्स के प्रांगण में गुलदार एवं बंदरों का	महोदय आपको सूचित करना चाहते हैं की विगत वर्षों में टाटा मोटर के प्रांगण में कई बार गुलदार देखा गया है जिसकी जानकारी वन विभाग को है एवं वन विभाग ने टाटा मोटर्स प्रांगण में आधिकारिक रूप से दौरा भी किया है, इसके बावजूद भी अभी तक	

	आतंक के संबंध में।	कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही साथ विगत कुछ दिनों से बंदरों का आतंक भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है जिससे कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। महोदय से निवेदन है कि इस संबंध हेतु संबंधित विभाग को उचित दिशा निर्देश देने की कृपा प्रदान करें जिससे अति शीघ्र समस्या का समाधान हो सके।	
11	वार्षिक बोनस जमा किए जाने के संबंध में।	महोदय श्रम विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022– 23 के बोनस संबंधित वार्षिक रिटर्न उद्योगों द्वारा जमा करने के बावजूद श्रम विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा सीधे नोटिस जारी किया जा रहा है। जबकि यह श्रम विभाग के इंस्पेक्टर के अधिकार क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। इसके अलावा ठेकेदारी प्रथा के बोनस से संबंधित प्रपत्र भी उद्योगों से ही मांगे जा रहे हैं जबकि यह उचित नहीं है। महोदय से निवेदन है कि संबंधित विभाग को उचित दिशा निर्देश प्रदान करें।	
12	थर्ड पार्टी ऑडिट में बढ़ाई गई दरों के संबंध में।	महोदय आपको अवगत कराना चाहते हैं कि श्रम विभाग द्वारा थर्ड पार्टी ऑडिटर की दरों में बेतहाशा वृद्धि की गई है जबकि इससे पहले जो दर निर्धारित की गई थी, उसमें उद्योगों के प्रतिनिधि, औद्योगिक संगठन के पदाधिकारी एवं थर्ड पार्टी ऑडिटर की संयुक्त बैठक श्रम आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में करने के बाद निर्धारित की जाती है, परंतु किसी कारणवश इस बार इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया एवं लगभग 90% तक दरों में वृद्धि कर दी गई। महोदय से निवेदन है कि इस संबंध में संबंधित विभाग को उचित दिशा निर्देश प्रदान करें।	
	एस0एस0आई0डब्ल्यू0ए0 द्वारा उपलब्ध कराये गये नये बिन्दु		
01	सिडकुल सितारगंज की आंतरिक सड़के एवं नालियों जर्जर हैं।		
02	पारले बिस्कुट के निकट (ड्रैनेज) लगभग दो सालों से टूटा हुआ है, जिससे जल निकासी की समस्या रहती है।		
03	सिडकुल से सितारगंज तक 12 किलोमीटर रोड को फोर लेन बनाने की कृपा की जाये, जिससे नए उद्योग लगने में मदद मिल सकेगी।		
04	विगत वर्षो से रेलवे कनेक्टिविटी के लिए उद्योगों द्वारा समय–समय पर मांग की जा रही हैं, परन्तु इस दिशा में कोई भी प्रगति नहीं हो रही है।		
05	खनन के वाहन सिडकुल के आंतरिक सड़कों से होकर गुजरते हैं, इसके लिए अलग से रोड की व्यवस्था की जाये।		
	के0जी0सी0सी0आई0 द्वारा उपलब्ध कराये गये नये बिन्दु		
01	काशीपुर में मुरादाबाद रोड पर स्वीकृत 132 केवी पावर सब–स्टेशन की स्थापना तथा रूद्रपुर क्षेत्र कुरैया व सितारगंज में निर्माणाधीन सब–स्टेशनों का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराए जाने के सम्बन्ध में।	महोदय, आपको अवगत कराना है कि काशीपुर में मुरादाबाद रोड पर स्थित औद्योगिक इकाईयों की निरन्तर बढ़ती हुई विद्युत की माँग को पूरा करने तथा उद्योगों में निर्बाध विद्युतापूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुरादाबाद रोड पर यूपीसीएल द्वारा कई वर्ष पूर्व एक 132 केवी पावर सब–स्टेशन स्वीकृत किया गया था परन्तु उसकी स्थापना का कार्य अभी तक भी शुरु नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त रूद्रपुर स्थित ग्राम कुरैया व सितारगंज औद्योगिक पार्क में निर्माणाधीन 33 केवी पावर सब–स्टेशनों का निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है जिससे क्षेत्र के उद्योगों को विद्युतापूर्ति में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सब–स्टेशनों की यथाशीघ्र स्थापना हेतु यूपीसीएल के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें।	
02	जनपद ऊधम सिंह नगर में औद्योगिक भूमि की दरों की सूची जारी कराए जाने के सम्बन्ध में।	महोदय, आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के सर्किल रेट की जो सूची जारी की गयी है उसमें औद्योगिक सर्किल रेट की श्रेणी को हटा दिया गया है। अब इस सूची में केवल दो श्रेणी (कृषि और वाणिज्यिक श्रेणी) ही शेष रह गयी हैं। इसके कारण जनपद की सारी औद्योगिक भूमि कॉमर्शियल भूमि की दरों पर ही आ जायेगी। जनपद ऊधम सिंह नगर में कॉमर्शियल भूमि की दरें औद्योगिक	

		भूमि की दरों से बहुत ज्यादा हैं। उदाहरणार्थ, वर्तमान में महुआखेड़ागंज में जमीन की बिक्री की वास्तविक दर रु0 2,200/– प्रति वर्गमीटर है जबकि सर्किल रेट की सूची के आधार पर जमीन की दरें रु0 7,000/– प्रति वर्गमीटर हो जाती हैं। इसी प्रकार सिडकुल द्वारा जो कुण्डेश्वरी, काशीपुर में औद्योगिक आस्थान विकसित किया जा रहा है उसमें जमीन विक्रय दर लगभग रु0 2,500/– प्रति वर्गमीटर है लेकिन उसका सर्किल रेट भी व्यवसायिक भूमि की दरों से काफी ज्यादा हो रहा है। महोदय, उपरोक्त स्थिति में जनपद ऊधम सिंह नगर में औद्योगिक भूमि की खरीद फरोख्त रुक जाएगी जिसका जनपद के औद्योगिक विकास पर पूर्ण रूप से विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि वर्तमान में जनपद के विभिन्न भागों में भूमि का जो वास्तविक बाजार भाव चल रहा है उसके आधार पर ही औद्योगिक भूमि की दरों की सूची जारी करने की कृपा करें।	
03	**उत्तराखण्ड नगर निकायों में सम्मिलित किए गए क्षेत्रों में स्थित उद्योगों का भवन कर समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में।**	महोदय, आपको अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन के शहरी विकास अनुभाग–3, देहरादून संख्या–1624/IV-3/2016-6)8)/2016 दिनाँक 25 अक्टूबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा उत्तराखण्ड नगर निकायों में सम्मिलित किए गए नए क्षेत्रों में स्थित व्यवसायिक एवं आवासीय दोनों वर्गों को 10 वर्ष तक भवन कर में छूट प्रदान की गयी थी। तत्पश्चात मा0 मुख्यमन्त्री कार्यालय अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप सं0–100/xxxv-4/2019 दिनाँक 01 अगस्त, 2019 द्वारा उपरोक्त अधिसूचना में बदलाव करते हुए केवल आवासीय भवनों को 10 वर्ष तक भवन कर में छूट प्रदान की गयी है। महोदय, उपरोक्त अधिसूचना का हवाला देते हुए नगर निगम, काशीपुर द्वारा नगर निगम में सम्मिलित किए गए ऐसे उद्योगों को भी सम्पत्ति कर स्व निर्धारण प्रपत्र भरकर जमा कराए जाने हेतु भेजे जा रहे हैं जो कि निजी औद्योगिक आस्थानों में कार्यरत हैं। इन औद्योगिक आस्थानों के विकास कार्यों की जिम्मेदारी शासन के नियमानुसार स्वयं प्रमोटर्स की है तथा इन औद्योगिक आस्थानों के विकास में नगर निगम की कोई भूमिका या सहयोग नहीं है। ऐसे में नगर निगम के नए सीमा क्षेत्र में आने वाले उद्योगों से भवन कर की वसूली किया जाना न्यायोचित नहीं है अपितु नगर निगम द्वारा उद्योगों को हतोत्साहित किया जाना है। नगर निगम, काशीपुर द्वारा उक्त कर दिनाँक 01.04.2020 से अब तक का जमा कराने की माँग की जा रही है। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा उद्योगों को यह भी अवगत कराया जा रहा है कि दिनाँक 01.04.2020 से दिनाँक 31.03.2023 तक के कर पर 20 प्रतिशत का अधिभार अतिरिक्त देय होगा। महोदय, नगर निगम, काशीपुर द्वारा उद्योगों के कर की दर सामान्य दर से दो गुना से पाँच गुना तक अधिक रखी गयी है जो कि न्यायसंगत नहीं है। उद्योगों से वसूल की जाने वाली यह कर राशि बहुत बड़ी है जिसे उद्योग वहन करने में किसी भी स्थिति में सक्षम नहीं हैं। इससे उद्योग हतोत्साहित होंगे तथा बन्दी के कगार पर पहुँच जायेंगे जिससे शासन को राजस्व की हानि के साथ–साथ बेरोजगारी भी बढ़ेगी। अतः आपसे अनुरोध है कि शासन स्तर से उक्त अधिसूचना में संशोधन करा कर नगर निगम सीमा के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों को नगर निगम के कर से मुक्त कराने की कृपा करें।	
04	**राज्य में विभिन्न उद्योग नीतियों के अन्तर्गत स्थापित उद्योगों के बिजली बिलों/बैंक ऋण पर ब्याज में छूट इत्यादि सब्सिडी**	महोदय, आपको अवगत कराना है कि राज्य में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर औद्योगिक नीतियाँ जारी की जाती हैं। इन्हीं औद्योगिक नीतियों में वर्णित प्रोत्साहनों (सब्सिडी) से आकर्षित होकर उद्यमी अपने उद्योगों की स्थापना करते हैं। महोदय, प्रायः देखने में आता है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी औद्योगिक नीतियों के अन्तर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों के दावों के भुगतान हेतु उद्यमियों को सम्बन्धित विभागों के निरन्तर	

	दावों के भुगतान के सम्बन्ध में।	चक्कर काटने के बावजूद भी उनके दावों का समय से भुगतान सम्भव नहीं हो पाता जिससे उद्यमियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में राज्य में मेगा टैक्सटाईल पार्क पॉलिसी, 2014, मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेण्ट पॉलिसी, 2015 केन्द्र सरकार द्वारा घोषित ''हिमाचल प्रदेश (हि.प्र.) एवं उत्तराखण्ड हेतु औद्योगिक विकास स्कीम, 2017 के अन्तर्गत स्थापित उद्योगों के पावर सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी एवं अन्य प्रोत्साहनों के दावे लम्बे समय से लम्बित हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि शासन स्तर से समुचित फण्ड की व्यवस्था कराते हुए उक्त दावों के यथाशीघ्र निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देशित करने की कृपा करें।	
05	औद्योगिक प्लॉटों को फ्री–होल्ड किए जाने के सम्बन्ध में।	महोदय, शासन द्वारा औद्योगिक आस्थानों में उद्योगों को लीज पर भूमि दी हुई है। इनमें से विभिन्न उद्योगों को औद्योगिक आस्थानों में कार्यरत रहते काफी समय बीत चुका है तथा उनके भूखण्डों की कीमत भी पूरी हो चुकी है। इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि विभिन्न औद्योगिक आस्थानों में स्थापित ऐसे उद्योग जिन्हें कार्यरत रहते 15 वर्ष या उससे भी अधिक का समय बीत गया है तथा उनके भूखण्डों की कीमत भी पूरी हो गयी है, ऐसे उद्योगों की भूमि को फ्री–होल्ड कराने की कृपा करें।	
06	सिंगल विण्डो सिस्टम के अन्तर्गत उद्यमियों को आ रही परेषानियों को दूर कराए जाने के सम्बन्ध में।	महोदय, आपको अवगत कराना है कि सिंगल विण्डो सिस्टम के तहत उद्योग विभाग में ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात विभिन्न विभागों में उद्यमियों को स्वयं जाकर कागजात जमा कराने की आवश्यकता पड़ती है। इससे उद्यमियों के लिए सरकार की ईज ऑफ डूईंग बिजनेस की अवधारणा भी पूर्ण नहीं होती है। चूँकि ऑनलाईन आवेदन करते समय उद्यमियों द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर दी जाती हैं, अतः उद्यमियों को सम्बन्धित विभागों में भौतिक रूप से कागजात जमा कराए जाने के प्रावधान को खत्म किया जाना चाहिए। उद्यमियों के लिए केवल सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र ही एकमात्र सम्पर्क केन्द्र होना चाहिए। उद्योग विभाग द्वारा ही अन्य विभागों से समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करायी जानी चाहिए तथा सभी विभागों द्वारा एक समय सीमा के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिए जाने चाहिए। यदि निश्चित समय सीमा के अन्दर कोई विभाग अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं देता है तो उस विभाग की स्वतः ही अनापत्ति माने जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। उपरोक्त के अतिरिक्त जब कोई उद्यमी सिंगल विण्डो सिस्टम में आवेदन करता है तो जिस भूमि पर वह उद्योग लगा रहा है उस भूमि का विवरण उद्योग विभाग द्वारा सम्बन्धित सहायक कलैक्टर/उप जिलाधिकारी को भेजा जाए तथा उद्योग विभाग द्वारा ही ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि धारा 143–क के अनुसार उक्त भूमि के अकृषिक होने का आदेश पारित हो जाए। इस प्रावधान से उद्योग का उत्पीड़न से बचाव के साथ ही भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग सकेगा।	
07	काशीपुर में बाजपुर रोड एवं रामनगर रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंगों पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर को यथाशीघ्र पूर्ण कराए जाने के सम्बन्ध में।	महोदय, आपको अवगत कराना है कि काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का कार्य लम्बित होने के कारण नगरवासियों एवं व्यापारियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काफी समय पूर्व स्टील के रेडीमेड गर्डर एवं पैनल भी पहुँच गये हैं लेकिन उनको जोड़ने का कार्य अभी तक शुरु नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त रामनगर रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर भी फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि काशीपुर में उपरोक्त दोनों फ्लाईओवर्स का निर्माण कार्य पूरा करा कर आवागमन हेतु यथाशीघ्र खुलवाने की कृपा करें।	

08	सिडकुल औद्योगिक आस्थान, बाजपुर–1 (सुल्तानपुर पट्टी) की समस्याओं के सम्बन्ध में	महोदय, बाजपुर–1, पिपलिया, सुल्तानपुर पट्टी स्थित औद्योगिक आस्थान में एक लम्बे समय से विकास एवं रख–रखाव कार्य न होने से नालियों, सड़कों तथा स्ट्रीट लाईटों का अस्तित्व लगभग समाप्त सा हो गया है। इससे औद्योगिक आस्थान में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जबकि सिडकुल द्वारा यहाँ पर कार्यरत उद्योगों से नियमित रूप से मेन्टीनेंस चार्ज लिया जा रहा है। उक्त औद्योगिक आस्थान में कार्यरत रेडिको खेतान लि0 के सामने वाली सर्विस रोड की स्थिति अत्यन्त दयनीय होने के कारण उस पर कम्पनी के लोडेड/अनलोडेड वाहनों का आवागमन अत्यन्त मुश्किल हो गया है तथा वाहनों के गुजरते समय इकाई परिसर में धूल का गुब्बार छा जाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि रेडिको खेतान के सामने वाली सड़क का निर्माण, पानी के निकास हेतु नालियाँ, स्ट्रीट लाईटों एवं नियमित सफाई की व्यवस्था हेतु कार्यवाही करने की कृपा करें।	
09	रूद्रपुर में नवनिर्मित ई0एस0आई0 अस्पताल को चालू कराए जाने एवं उक्त अस्पताल से सिडकुल के लिए कनेक्टिंग रोड का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में।	महोदय, आपको अवगत कराना है कि रूद्रपुर में निर्मित ईएसआई अस्पताल को अभी तक समुचित रूप से चालू नहीं किया गया है जिसके कारण श्रमिकों को उपचार में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अस्पताल को अतिशीघ्र चालू कराए जाने हेतु अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करें।	
10	तहसील किच्छा के अन्तर्गत ग्राम किशनपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग–74 तक 1 कि0मी0 की दूरी तक सड़क का निर्माण एवं गन्दे पानी के नाले को कवर किए जाने के सम्बन्ध में।	महोदय, ग्राम किशनपुर, तह0 किच्छा, जनपद ऊधम सिंह नगर स्थित सदस्य इकाईयों द्वारा अवगत कराया गया है कि किशनपुर गाँव को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाला लगभग 1 कि0 मी0 लम्बा कच्चा मार्ग अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है जिसके कारण औद्योगिक गतिविधियों एवं ग्रामवासियों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात इत्यादि प्रतिकूल मौसम में आवागमन की स्थिति और भी जटिल हो जाती है। इस कारण से इस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी बाधित हो रहा है। उपरोक्त के अतिरिक्त कच्चे मार्ग के समानान्तर बहने वाली अपशिष्ट जल की नहर में उठने वाली दुर्गन्ध के कारण पर्यावरण को भी खतरा तथा ग्रामवासियों के स्वास्थ्य व उनके जीवन की गुणवत्ता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि ग्राम किशनपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग–74 तक गुणवत्तायुक्त 1 कि0मी0 लम्बी सड़क बनवाने तथा गन्दे पानी के नाले को कवर कराने की कृपा करें।	
11	रूद्रपुर में ग्राम भदईपुरा से तीनपानी तक ड्रेनेज व्यवस्था किए जाने के सम्बन्ध में।	महोदय, रूद्रपुर में ग्राम भदईपुरा से तीनपानी तक दर्जनों उद्योग स्थापित हैं। 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग बनने के बाद इस क्षेत्र की जल निकासी हेतु पूर्व में अनवरत बहने वाले प्राकृतिक जल स्रोत बन्द हो गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होने के बाद जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण बरसात में कॉलोनी व उद्योगों में पानी भर जाता है। विगत 3–4 साल से पानी भर जाने के कारण उद्योगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है तथा कॉलोनीवासियों का जीवन भी अस्त–व्यस्त हो जाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त क्षेत्र में पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम बनवाने की कृपा करें।	
12	ग्राम शिमला पिस्तौर से मालसा होते हुए दरऊ तक सड़क का चौड़ीकरण कराए जाने के सम्बन्ध	महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग–74 पर रूद्रपुर एवं किच्छा के मध्य स्थित ग्राम शिमला पिस्तौर से मालसा होते हुए दरऊ तक के मार्ग पर काफी उद्योग स्थापित हो चुके हैं तथा नए उद्योग भी आ रहे हैं। इस क्षेत्र को महानगर योजना में भी शामिल किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि औद्योगिक गतिविधियों को	

	में।	ध्यान में रखते हुए उपरोक्त मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाना चाहिए।	
13	खाद्य प्रसंस्कृत उद्योगों द्वारा की जाने वाली चावल की आपूर्ति हेतु गोदामों की व्यवस्था कराए जाने के सम्बन्ध में।	महोदय, आपको अवगत कराना है कि वर्तमान में हमारे प्रदेश में 600 राईस मिलें कार्यरत हैं। उनके द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार को चावल की आपूर्ति की जाती है परन्तु जनपद एवं राज्य स्तर पर गोदामों की कमी के कारण अभी 15 लाख कुन्तल चावल उतरना शेष है। इसकी वजह से प्रदेश की राईस मिलें अत्यधिक वित्तीय एवं मानसिक परेशानी में हैं। इस विषय में राईस मिलों द्वारा पूर्व में भी परिस्थिति से अवगत कराया जाता रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि राईस मिलों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए यदि सरकारी गोदाम खाली न हों तो निजी गोदामों को किराए पर लेकर चावल उतरवाने हेतु कार्यवाही करने की कृपा करें।	
14	ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत उद्योगों को निर्बाध विद्युतापूर्ति हेतु औद्योगिक फीडरों से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।	महोदय, दिनाँक 12 मई, 2023 को होटल रेडिसन ब्लू, रूद्रपुर में आयोजित राज्य स्तरीय उद्योग मित्र की बैठक में उद्यमियों द्वारा माननीय मुख्यमन्त्री जी के समक्ष ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों में विद्युत की निर्बाध आपूर्ति हेतु उन्हें औद्योगिक फीडर से जोड़ने की माँग की गयी थी। ग्रामीण फीडर से जुड़े उद्योगों को अविरल विद्युतापूर्ति नहीं मिल पाती जिससे उनकी उत्पादन प्रक्रिया में बार–बार व्यवधान पैदा होता है। उद्यमियों के अनुरोध पर माननीय मुख्यमन्त्री जी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों को निर्बाध विद्युतापूर्ति हेतु ग्रामीण फीडर से हटाकर औद्योगिक फीडर से जोड़ने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु इस दिशा में अभी कोई प्रगति नहीं हो पायी है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषय में कार्यवाही कराने की कृपा करें।	
15	उद्योगों को रोस्टिंग की अग्रिम सूचना उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।	महोदय, आपको अवगत कराना है कि विद्युत विभाग द्वारा रोस्टिंग करते समय उसकी अग्रिम सूचना उद्योगों को नहीं दी जाती जिसकी वजह से उद्योगों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में विद्युत विभाग के अधिकारियों से समय–समय पर अनुरोध किया जाता रहा है। आपसे अनुरोध है कि विद्युत विभाग द्वारा पर्याप्त समय देते हुए रोस्टिंग की अग्रिम सूचना उद्योगों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए।	
16	सिडकुल, सितारगंज, फेज–।। में उद्योगों से निकलने वाले जल शोधन के लिए सीईटीपी की पाईप लाईन बिछाए जाने के सम्बन्ध में।	महोदय, आपको अवगत कराना है कि सिडकुल, सितारगंज फेज–।। में कई उद्योग कार्यरत हैं तथा कुछ का निर्माण कार्य चल रहा है परन्तु फेज–।। में कार्यरत उद्योगों से निकलने वाले जल शोधन के लिए सीईटीपी की पाईप लाईन नहीं बिछाई गयी है।	
17	अन्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति से		

धन्यवाद